

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2024/554

मुकदमा नम्बर 213/2024

दायर दिनांक-03.12.2024

सरवरअली खान पुत्र रुडजीचोपदार जाति चोपदार , निवासी डूण्डलोद, तहसील नवलगढ़
जिला झुझुनू

..... वादी

बनाम


1. अनिल कुमार पुत्र उमादत तोलासरिया जाति महाजन निवासी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
2. आबिदा पत्नी मोहम्मद रफीक जाति व्यापारी निवासी कोलसिया
3. इरसाद पत्नी मोहम्मद सफीक जाति व्यापारी निवासी कोलसिया
4. गिरधारीलाल पुत्र सेडूराम जाति जांगिड निवासी कोलसिया
5. जेनम पत्नी आमीन जाति व्यापारी निवासी ग्राम डूण्डलोद
6. मो. आरिफ पुत्र हाजी जमालुदीन जाति व्यापारी निवासी ग्राम डूण्डलोद
7. मो. जाकिर पुत्र उस्मान गनीबहलीम जाति व्यापारी निवासी ग्राम डूण्डलोद
8. मो. मुस्लिम पुत्र हाजी शकूर जाति व्यापारी निवासी डूण्डलोद
9. मो. रफीक पुत्र हाजी जमाल जाति व्यापारी निवासी ग्राम डूण्डलोद
10. मो. आबीद पुत्र मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान सिक्का निवासी ग्राम डूण्डलोद
11. मोहम्मद आरिफ पुत्र हाजी इब्राहीम बेहलीम जाति व्यापारी निवासी डूण्डलोद
12. मोहम्मद कासम पुत्र रमज्यान जाति व्यापारी निवासी ग्राम जाखल
13. उत्थान टाउनशीप एण्ड लैण्ड डवलपमेन्ट प्रा. लि. बनवारी लाल आर्य पुत्र गणेशाराम आर्य जाति जाट निवासी गुलमोहर लेन खातीपुरा जयपुर
14. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा - विभाजन

प्रतिनिधत्व:-

वकील वादी- श्री शिशुपाल कुलहरी
प्रतिवादी सं. 1लगा. 14- एक पक्षीय


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

—:निर्णय:—

निर्णय दिनांक 08.05.2025

वाद वादी दिनांक 21/01/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/7489 दिनांक 28/04/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला- झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2024/554

मुकदमा नम्बर 213/2024

दायर दिनांक-03.12.2024

(सरवरअली खान बनाम अनिल कुमार वगै0)

दावा - विभाजनडिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 21/01/2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/7489 दिनांक 28/04/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....
-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 08 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
नवलगढ (सुड्डर)

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-